राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

-:: निर्णय ::-

मै.गोलच्छा टेक्सटाईल एजेन्सी व अन्य : बनाम : फर्म मूलचन्द सुजानमल एण्ड कम्पनी

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या : **69/1982**
अन्तर्गत् धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
* * * * *

निर्णय दिनांक : **22** दिसम्बर , **2006**

-: उपिस्थत :-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार आचार्य

अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता श्री सुदेश गुप्ता,
रेस्पोंडेण्ट के अधिवक्ता श्री एस.सी.मालू।

न्यायालय द्वारा :

यह अपील अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.1981 की नाराजगी में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर एडमिट की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया और रेस्पोंडेण्ट को समन जारी किया गया, जिनकी ओर से अभिभाषक उपस्थित आएं।

तथ्य वाद के संक्षेप में इस प्रकार हैं कि एक वाद वादी फर्म मूलचन्द सुजानमल एण्ड कम्पनी, जो रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म है, ने जरिए भागीदार गौतमचन्द के विरूद्ध प्रतिवादीगण मैसर्स गोलच्छा टेक्सटाइल एवं कंवरलाल

के विरूद्ध रू.12,150/- की वसूली का प्रस्तुत किया और डिक्री चाही। वाद-पत्र में बताया गया कि वादी फर्म एक रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म है। वह जोधपुर शहर में कपड़ा बाजार में कपड़े का कारोबार करती है। उसमें गणपतलाल, गौतमचन्द और मैना कुमारी भागीदार हैं। नकल सूची भागीदारान भी पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 2 कलकत्ता में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वादी फर्म के कमीशन एजेण्ट के रूप में काम करता है। प्रतिवादी संख्या 2 कलकत्ता के व्यापारियों से माल भेजने के आदेश लेकर वादी फर्म को जोधपुर भेजा करता था। वादी फर्म उन आदेश को जोधपुर में स्वीकार कर कलकत्ता के व्यापारियों को उनके आदेश के अनुसार माल भेज देती थी। वादी फर्म प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर कमीशन दिया करती थी। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी फर्म प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर वादी फर्म से 29.12.1976 को जोधपुर में 13,400/- रूपए रोकड़ कर्ज लिए। प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त रकम वादी फर्म से रोकड प्राप्त करना स्वीकार किया और उक्त रकम पर 1.25 रूपए सैकडा ब्याज सहित जल्द ही जोधपुर में अदा करने का मायदा किया और वादी फर्म की रोकड बही में अपने हस्ताक्षर कर दिये। वादी फर्म के कलकत्ता की तीन व्यापारिक पार्टियों में, जिनको प्रतिवादी संख्या 2 के मार्फत वादी फर्म ने उधार माल भेजा था, रकम बाकी लेनी थी। प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 28.12.1976 को जोधपुर में वादी फर्म से उक्त तीनों पार्टियों की बकाया रकम जमा कर अपनी फर्म प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लिखने का कहा और जल्द ही जोधपुर में अदा करने को कहा। जिस पर वादी फर्म ने 28.12.1976 को अपनी नकल जमा बही में प्रतिवादी संख्या 1 के खाते के नीचे मुजब कुल 11020.09 रूपए नावे मांडे और तीनों पार्टियों के खाते में उनकी बकाया

रकम जमा की जो इस प्रकार है - मैसर्स प्रकाशचन्द विनोद कुमार कलकत्ता - 5633 रूपए, मैसर्स मनोहर लाल ब्रदर्स कलकत्ता - 4823.84 रूपए और मैसर्स गणेशमल दीनदयाल कलकत्ता - 563.25 रूपए। कुल 11020.09 रूपए। प्रतिवादी संख्या 2 ने जब अपनी फर्म प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में वादी फर्म के यहां वादी की सिस्टर कन्सर्न में अपने कमीशन की बकाया राशि 15,895.78 रूपए निम्न प्रकार से जमा करने को कहा और उनकी हिदायत के अनुसार उसकी फर्म प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में उक्त कमीशन की रकम जमा कर ली गई और दूसरी फर्मो के खाते नावें मांडी, जो इस प्रकार है : 30.11.1976 को मै. कमला इण्डस्ट्रीज के 6131.03 रूपए, दिनांक 30.12.1976 को मै. गणपतलाल संचेती एण्ड कम्पनी के 9632.64 रूपए एवं दिनांक 30.12.1976 को मै. प्रिया टेक्सटाइल के 132.11 रूपए। कुल 15,895.78 रूपए। इस प्रकार वादी फर्म ने प्रतिवादी संख्या 1 के खाते कुल 15,895.78 रूपए जमा किए, जिसकी जमा नकल बही व रोकड बही पेश की गई। वादी ने अपने वाद-पत्र में यह जाहिर किया कि आम बाजार में यह धारा और रिवाज है कि रकम का माल उधार ले जाने पर बकाया रकम पर 1.25 रूपए सैकडा माहवार से ब्याज लिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी फर्म प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर वादी फर्म से रकम उधार लेने पर उक्त रकम पर 1.25 रूपए सैकडा माहवार से ब्याज देने का मायदा किया और वादी फर्म की रोकड बही में अपने हस्ताक्षर किए। वादी फर्म के यहां रोजमेल से साहुकारी ढंग से बहीयात रखी जाती है जिसमें वक्त पर इन्दराज किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपनी फर्म प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जो भी लेन देन किया उसका जमा खर्च वादी फर्म ने अपनी बहियात में किया। उपरोक्त रकम बावजूद तलबी तकाजो के अदा नहीं

किया। इस प्रकार वादी फर्म ने प्रतिवादी संख्या 1 के खाते बैंक कमीशन के 15.50 रूपए दिनांक 8.8.1977 को नामे मांडे। वादी फर्म के प्रतिवादीगण में असल 8,524.31 रूपए, बैंक कमीशन के 15.50 रूपए व वाद-पत्र की तारीख तक ब्याज के 3,610.19 रूपए, कुल 12,150 रूपए लेने बकाया हैं, जिसकी रकम की मय ब्याज के डिक्री चाही गई।

प्रतिवादीगण ने जवाबदावे में पैरा नम्बर 1 जानकारी नहीं होने से अस्वीकार किया एवं पैरा नम्बर 2 को स्वीकार किया और पैरा नम्बर 3 को अस्वीकार किया और जाहिर किया कि प्रतिवादीगण में से किसी ने भी वादी फर्म से दिनांक 29.12.1976 को या कभी भी जोधपुर में या और किसी जगह कोई 13,400 रूपए रोकड कर्ज नहीं लिए। सही तथ्य यह है कि वादी फर्म के जिम्मे प्रतिवादीगण की कमीशन की रकम 13,400 रूपए बाकी निकलती थी। यह 13,400 रूपए वादी फर्म ने प्रतिवादी संख्या 2 को कमीशन पेटे अदा की और उसकी बाबत अपनी बही में इन्दराज करवा कर कंवरलाल प्रतिवादी संख्या 2 के दस्तखत करवा लिए। इस बात को इनकार किया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने किसी कर्जे पेटे रकम ली हो। पैरा नम्बर 4 को अस्वीकार किया और जाहिर किया कि प्रतिवादी ने कभी भी कोई रकम इस दफा में लिखी किसी पार्टी को देने के लिए नहीं कहा। वादी फर्म ने इस बारे में कभी कोई सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी थी। इस पैरा में लिखी तीनों फर्मे कलकत्ता की है और ऐसी कोई स्थिति ही नहीं हो सकती थी कि प्रतिवादीगण दिनांक 28.12.1976 को वादी फर्म, जो जोधपुर में है, से उन्हें कलकत्ता में रूपया दिलवाते और अपने नाम लिखवाते। सही तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 के मार्फत वादी फर्म ने माल उपरोक्त तीनों पार्टियों को भेजा था। प्रतिवादी संख्या 1 या 2 की वादी को पैसा वसूल करवाने की

कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि माल वादी सीधा ही भेजता था और पार्टी सीधा ही ड्राफ्ट वादी को भेजती थी। वादी फर्म की इसमें कोई बदनीयती व साजिश मालूम होती है और वादी फर्म गलत व फर्जी इन्दराज करके प्रतिवादीगण से 11,020.09 रूपए वसूल करना चाहती है। पैरा नम्बर 5 को स्वीकार किया। पैरा नम्बर 6 को भी इनकारी की और इस प्रकार के लेनदेन में कोई ब्याज नहीं लिया जाता न बाजार धारा का रिवाज है न किसी प्रकार का ब्याज का मुआयदा ही था। यह भी जाहिर किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी फर्म से कभी कोई रूपए उधार नहीं लिए इसलिए किसी ब्याज शर्त का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रतिवादीगण कभी भी माल वादी से उधार नहीं लेते थे। प्रतिवादीगण कभी माल लेते ही नहीं थे, वे तो दूसरो के लिए वादी को माल भेज देने का ऑर्डर देते थे। वादी की बहियां वगैरह देखने से जाहिर होता है कि इन्दराज झूठे व बनावटी है। वादी फर्म की बहियात कतई साहूकारी नहीं है और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई भी रकम बकाया नहीं है। 15.50 रूपए भी हुण्डी बाबत गलत नामे मांडे गए हैं। कोई भी वादी फर्म का पैसा प्रतिवादीगण के जिम्मे बाकी नहीं निकलता है। सही तथ्य यह है कि वादी फर्म ने 13,400 रूपए प्रतिवादीगण को उनके कमीशन की बाबत अदा किए थे उधार नहीं दिए। इस प्रकार वादी 13,400 रूपए का दावा गलत तौर पर किया गया है। इसी प्रकार 11,020.09 रूपए प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से नहीं लौटाए। यह रकम भी वादी प्रतिवादीगण से पाने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार कोई भी रकम वादी फर्म की प्रतिवादीगण के जिम्मे नहीं है। इसके विरूद्ध प्रतिवादीगण के रूपये 15,895.78 रूपए वादी फर्म के जिम्मे वाजिब हैं जैसाकि वादी फर्म ने स्वयं ने स्वीकार भी की है। प्रतिवादीगण

ने अपनी रकम का तकाजा किया तो रकम मारने की गरज से यह झूठा दावा पेश किया है। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का भी नहीं है। इस प्रकार जो दावा किया गया है खारिज करने की इस्तदुआ की। विशेष आपत्तियों में भी यही जाहिर किया कि प्रतिवादीगण कलकत्ते में माल का ऑर्डर दूसरी फर्मो से लेकर वादी फर्म को भेज देते थे। वादी फर्म उन फर्मो को माल भेज देती थी और रूपया वसूल कर लेती थी और प्रतिवादीगण का कमीशन प्रतिवादीगण को दे देती थी। प्रतिवादीगण किसी रूपये के जिम्मेदार नहीं थे केवल अपना कमीशन ही लेते थे। प्रतिवादीगण न तो जोधपुर के रहने वाले हैं और न उनके खिलाफ कोई बिनाय दावा जोधपुर में पैदा हुआ, अत: दावा खारिज करने की इस्तदुआ की।

वादी द्वारा जवाबुल जवाब पेश किया गया, जिसमें जाहिर किया कि प्रतिवादीगण ने यह तो मंजूर किया है कि उसने वादी से प्रकाशचन्द विनोद कुमार, मनोहर ब्रदर्स व गणेशमल दीनदयाल की जोधपुर से कलकत्ते माल भिजवाया था, मगर इस तथ्य से इनकार करता है कि उसने 28.12.1976 को उन फर्मो में बकाया 11,020.09 रूपए की रकम अपने नाम नहीं मंडाई हो। उनका यह कथन है कि वादी माल खरीदारान को सीधा भेजता था ओर खरीदार माल की कीमत का सीधा ड्राफ्ट वादी को भेज देते थे इसलिए प्रतिवादी की जिम्मेदारी नहीं थी। मगर प्रतिवादीगण का उपरोक्त उजर झूठा व मनगढंत है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण अक्सर खरीदारान का नाम डिसक्लोज किए बिना गुमनाम से नामरहित अनसोल्ड माल के बिल बनाकर वादी से माल मंगाता था और प्रतिवादी अपनी मर्जी माफिक चाहे जिस व्यापारी को अपनी जिम्मेदारी पर बतौर पक्का आढ़तिया माल बेच देता था और वादी द्वारा भेजे हुए डुप्लीकेट बिल में नाम खरीदार

भरकर एक पड़त खरीदार को दे देता था और एक पड़त खुद रख देता था और माल बिक जाने पर उसकी सूचना व रकम खुद प्रतिवादी जरिए ड्राफ्ट वादी को भेजता था। वादी नमूने के तौर पर एक बिल बुक पेश करता है जिसमें 50 बिल नं. 4801 से 4850 की चौथी पड़त मौजूद है, उन 50 बिलों में से 48 बिल प्रतिवादी के मार्फत भेजे गए माल के हैं जो सभी गुमनाम याने अनसोल्ड माल के हैं। अत: प्रतिवादीगण का यह कथन बिलकुल झूठा है कि वादी खरीदार को सीधे माल भेजकर कीमत का ड्राफ्ट सीधे मंगा लेता था। इसलिए अनडिसक्लोज्ड प्रिंसिपल को वादी का माल बेच देने के कारण प्रतिवादी जिम्मेदार था और उसने यह भी जाहिर किया था कि उपरोक्त तीनों व्यापारियों से रकम प्रतिवादी के पास पहुंच चुकी है, इस वजह से प्रतिवादी ने 28.12.1976 को 11,020.09 की रकम अपनी स्वेच्छा से अपने नाम मंडाई थी। यह भी जवाबुल जवाब में जाहिर किया कि प्रतिवादीगण ने मंजूर किया है कि उसने 29.12.1976 को वादी से 13,400 रूपए रोकड लेकर वादी की बही में इस रकम के इन्द्राज के नीचे खुद के दस्तखत किए हैं, जबकि प्रतिवादी ने यही उजर उठाया है कि वादी फर्म के जिम्मे प्रतिवादी की कमीशन की राशि 13,400 रूपए बाकी निकलती थी। प्रतिवादी ने कमीशन रेट तक नहीं बताई है। प्रतिवादी का उजर सर्वथा मिथ्या व मनगढंत है। वादी के कुल बिलों पर छपा हुआ था कि वह वादी के माल का सोल सेलिंग एजेण्ट मैसर्स गणपतलाल संचेती एण्ड कम्पनी है जिसको वादी कमीशन देता था और उस रकम में से प्रतिवादी को गणपतलाल संचेती एण्ड कम्पनी कमीशन देती थी। वादी ने जो माल प्रतिवादी की मार्फत कलकत्ते भेजा उसकी कमीशन की राशि 9,632.44 रूपए गणपतलाल संचेती एण्ड कम्पनी में जमा थे, जिस रकम की प्रतिवादी ने अपने कर्जे पेटे

वादी के यहां 30.12.1976 को एडजस्ट करा दी। प्रतिवादी ने 1.25 रूपया सैंकडा ब्याज देने का वादी के साथ मायदा किया है जो अब बदनीयती से इनकारी की है।

पक्षकारों के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकियात कायम की गई :

1. क्या प्रतिवादी संख्या 2 कंवरलाल ने अपनी फर्म (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम पर वादी फर्म से दिनांक 29.12.1976 को जोधपुर में 13,400/- रू० नकद कर्ज लिया और वादी फर्म की रोकड़ बही में अपने हस्ताक्षर किये?
2. क्या प्रतिवादी ने 13,400/- रू० की राशि कमीशन पेटे प्राप्त की थी?
3. क्या प्रतिवादी 2 ने रू.1.25 पै० सैकडा माहवार ब्याज अदा करना तय किया और यही ब्याज की दर आम बाजार की धारा व रिवाज के अनुसार भी उधार की रकम पर देय है?
4. क्या प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 28.12.1976 को जोधपुर में रू.11,020.09 पै० की रकम वादी फर्म की बही में प्रतिवादी संख्या 1 के नामे दर्ज करने को कहा और उक्त रकम कलकत्ते की तीन पार्टियों से वसूल करके अदा करने का वायदा किया?
5. क्या इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है?
6. क्या प्रतिवादीगण विशेष हर्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
7. अनुतोष?

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.10.1980 को तनकी नम्बर 5, जो क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में थी, उसका निर्णय अलग से किया गया और न्यायालय का क्षेत्राधिकार होना माना गया।

वादीगण की ओर से साक्ष्य में पी.ड.1 गौतम चन्द एवं पी.ड.2 मोहनलाल के बयान करवाए गए और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से लगायत प्रदर्श 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में डी.ड.1 कंवरलाल व डी.ड.2 कनकमल के बयान करवाए गए।

तत्पश्चात् दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 से 3 का निर्णय एक साथ किया और दोनों पक्षों की साक्ष्य के आधार पर उक्त तीनों ही तनकियात वादी के पक्ष में निर्णीत की गई और 13,400 रूपए नकद कर्ज लेना प्रमाणित पाया और ब्याज 1.25 रूपए प्रति सैंकडा माहवार की दर से पाने का वादी अधिकारी माना गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध जो तनकी नम्बर 2 तय की गई कि 13,400 रूपए कमीशन पेटे प्राप्त की गई हो। तनकी नम्बर 4 का निर्णय भी वादी के पक्ष में किया गया कि 28.12.1976 को जोधपुर में 11,020.09 रूपए वादी फर्म की बही में प्रतिवादी संख्या 1 के नामे दर्ज करने को कहा और उक्त रकम कलकत्ता की तीन पार्टियों से वसूल करके अदा करने का वायदा किया। उपरोक्त तनकियात के निर्णय के अनुसार दावा वादी 12,150 रूपए मूल व 1.25 रूपए सैंकडा माहवार की दर से ब्याज तारीख दावा दायरी की तारीख 21.11.1979 से अदायगी तक असल राशि 8524.31 रूपए पर ब्याज की डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध यह अपील है।

इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा इस अपील में प्रथम तर्क तनकी नम्बर 1, 2 एवं 4 के सम्बन्ध में रखा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1, 2 एवं 4 का निर्णय करने में कानूनी गलती की है और

साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया है। उनका तर्क है कि वास्तव में 13,400 रूपए कभी रोकड कर्ज नहीं लिए गए थे और कमीशन की राशि थी वही जमा की गई है और उसके हस्ताक्षर कराए गए थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रदर्श 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें भी स्पष्ट लिखा है कि 13,400 रूपए नकद दिया और कंवरलाल के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार गोलच्छा टेक्सटाईल कलकत्ता वाले के नाम रोकड रकम होना कंवरलाल ने दस्तखत किए हों यह तथ्य सही नहीं है बल्कि 13,400 रूपए नकद कंवरलाल द्वारा कमीशन के जमा कराए गए हैं और इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रतिवादी कंवरलाल के बयान और उसके साथ जो गवाह कनकमल के बयानो की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार उनका तर्क रहा कि कंवरलाल अपीलाण्ट द्वारा कलकत्ता से आकर जोधपुर में 13,400 रूपए लोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि यह रकम 13,400 रूपए कमीशन के रूप में जमा किए गए थे क्योंकि वह जोधपुर आया हुआ था। 11,020.09 रूपए, जो तीन पार्टियों के थे वह एडजस्ट कराए गए हो, इस बात से भी उसने इनकार किया। इस प्रकार कुल 15,895.78 रूपए कभी बकाया नहीं निकले, स्पष्ट रूप से प्लीडिंग की गई थी और साक्ष्य दी गई थी, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह भी तर्क रहा कि प्रदर्श 2 यदि उधार की रकम होती तो ब्याज की शर्त भी इसमें लगाई जाती, जबकि ब्याज की दर इसमें लगी हुई नहीं है। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह भी तर्क है कि यह राशि लोन पेटे दी गई हो, इसे साबित करने का भार वादी पर था और वादी को ही यह प्रमाणित करनी चाहिए। अपने तर्क समर्थन में उन्होंने ए आई आर 1991 मध्यप्रदेश 15 (ललिता जेम्स बनाम अजीत

कुमार) विनिश्चय पेश किया।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के समर्थन में बहस की और तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने निर्णय में यह माना कि प्रतिवादी द्वारा कोई हिसाब पेश नहीं किया गया। यह रकम ली गई, किस प्रकार से कमीशन की कितनी रकम बकाया थी, कमीशन की क्या दर थी, यह प्रतिवादी ने स्पष्टीकरण जवाबदावे या साक्ष्य में नहीं बताया और किस अवधि की कमीशन की रकम थी, यह भी प्रतिवादी नहीं बता पाया है। कमीशन के बाबत कोई हिसाब पेश नहीं करने का कोई कारण भी प्रतिवादी ने नही बताया है और उसके विरूद्ध उचित रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने उपधारणा ली है। प्रतिवादी गवाह कनक मल भी आकस्मिक गवाह है, उसका नाम पहले सूची में नहीं दिया गया था। प्रदर्श 2 कमीशन पेटे रकम देना भी दर्ज नहीं की गई है। रोकड देना दर्ज किया गया है और प्रतिवादी के दस्तखत भी कराए गए हैं एवं इसमें "नगदी पाया" इस्तेमाल किया गया है। इन सभी आधारों पर वादी की साक्ष्य अधिक विश्वसनीय पाई गई और 13,400 रूपए इन्द्राज प्रदर्श 2 के उधार दिए गए थे और उसका खाता प्रदर्श 9 पेश किया गया है और बाद के खाते प्रदर्श 10 व 11 भी पेश किए गए हैं। इस प्रकार योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के समर्थन में बहस की और यह भी तर्क किया कि जब प्रदर्श 2 रोकड बही में प्रतिवादी द्वारा 13,400/- रूपए नगद प्राप्त करना लिखा है तो यह रकम नगद दी जानी ही मानी जाएगी और इसका भार प्रतिवादी पर था कि यह रकम नगद नहीं ली गई और कमीशन पेटे ली गई और इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी की साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं पाया, अत: अधीनस्थ न्यायालय के

निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जावे। इसी प्रकार तनकी नम्बर 4 भी वादी की साक्ष्य से व बहियात से पूर्ण रूप से प्रमाणित हुई है। 11,020.09 रूपए प्रतिवादी द्वारा तीन पार्टियों से वसूल कर अदा करने का वादा किया गया था अत: वह प्रतिवादी संख्या 1 के नामे मांडे हैं और यह राशि भी पूर्ण रूप से वादी द्वारा प्रमाणित की गई है।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

इस प्रकरण में मुख्य बिन्दु यही है कि वास्तव में 13,400 रूपए रोकड कर्ज लिया गया या कमीशन के रूप में प्रतिवादी ने जमा कराए गए, इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 व 2 का जो निर्णय किया गया है, उसका मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दोनों पक्षों की साक्ष्य के विवेचन के बाद वादी की साक्ष्य को अधिक विश्वसनीय पाया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का जो आधार रहा है वह यह रहा है कि प्रतिवादी ने कमीशन का कोई हिसाब पेश नहीं किया कि उक्त रूपए लिए तब किस आधार पर उसके कमीशन के रूपए बने थे। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे व बयानो में कतई यह स्पष्ट नहीं किया कि कमीशन की क्या दर थी व किस अवधि के कमीशन के पैसे थे और उक्त रकम ली तब कितना कमीशन बनता था। कमीशन का भी हिसाब हुआ अथवा नहीं, कमीशन बाबत कोई हिसाब भी पेश नहीं किया गया न इसका कोई कारण ही बताया गया। प्रतिवादी द्वारा हिसाब पेश नहीं करने से उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के आधार पर उपधारणा प्रतिवादी के विरूद्ध ली गई। कनक मल भी

आकस्मिक प्रकार का गवाह होना पाया गया, इसका नाम सूची में नहीं था और इसके बयान सावधानी पूर्ण पढ़ने योग्य होना भी पाया। उसने बयानो में बताया कि उस समय कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। वादी ने इसका नाम अपने बयानो में नहीं लिया। योग्य अभिभाषक प्रतिवादी की बहस अधीनस्थ न्यायालय में भी रही थी कि प्रदर्श 2 में कर्ज पेटे रकम लेना लिखा हुआ नहीं है, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने यह पाया कि इसमें कमीशन पेटे देना भी दर्ज नहीं है। प्रतिवादीगण ने कोई हिसाब पेश नहीं किया है और रोकडा देना दर्ज है और प्रतिवादी के दस्तखत भी कराए हैं, इन सभी आधारों पर वादी की साक्ष्य अधिक विश्वसनीय पाई और बाद के खातों में भी इस रकम का हवाला आया है। वादी और उसके गवाह मोहनलाल के बयान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय पाए और 1.25 रूपए सैकडा ब्याज देना तय हुआ था, यह भी साबित पाया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से पाया कि कर्ज देने का तथ्य इस तथ्य से भी समर्थित होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी की सिस्टर कंसर्न की तरफ से अपने बकाया कमीशन की राशि 15,895.78 रूपए वादी के यहां अपने खातों में जमा कराई जो जवाबदावे में स्वीकार की है, अत: यदि वादी की रकम कर्ज पेटे व माल पेटे बकाया नहीं निकल रही थी तो यह रकम जमा कराने का प्रश्न ही नहीं था। इन सभी आधारों पर उपरोक्त तनकियात का निर्णय किया गया।

मेरे द्वारा भी दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट ने जो ललिता जेम्स बनाम अजीत कुमार (उपरोक्त) विनिश्चय पेश किया है इसमें यह सिद्धान्त दिया गया है कि वादी को अपना दावा एवं तनकियात साबित करने का भार उसी पर रहता है, प्रतिवादी की

साक्ष्य में आई कमियों के आधार पर दावा वादी साबित नहीं माना जा सकता और वादी को अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होकर अपना वाद प्रमाणित करने का आरम्भिक भार उसके ऊपर ही रहता है, सिद्धान्त दिया गया है। इस कानून की स्थिति को मैं स्वीकार करता हूं। यह सही है कि जो पक्ष दावा लेकर आता है और विशिष्ठ तथ्य उसे प्रमाणित करने होते हैं। धारा 102 साक्ष्य अधिनियम में भी यही विस्तृत रूप से सिद्धान्त दिया गया है। वादी तभी वाद में सफलता प्राप्त कर सकता है जब वह स्वयं अपनी साक्ष्य से तथा इसमें लिखे तथ्यों को प्रमाणित करे, दूसरे पक्ष की साक्ष्य की कमजोरी के आधार पर दावा वादी डिक्री नहीं किया जा सकता। इस सिद्धान्त को मैं स्वीकार करता हूं।

इस प्रकरण में यह देखना है कि वादी की साक्ष्य से 13,400 रूपए रोकड कर्ज लिए गए या कमीशन के पेटे प्रतिवादी ने जमा कराए, प्रमाणित हुआ अथवा नहीं। वादी का स्पष्ट केस यह रहा कि 13,400 रूपए रोकड दिए गए थे और प्रतिवादी स्पष्ट रूप से यह अभिवचन लेकर आया है कि यह रोकड नहीं लिए थे और कमीशन के पेटे थे, जो उसने जमा कराए थे। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा दोनों पक्षों की साक्ष्य पर विचार किया गया।

पी.ड.1 गौतम चन्द वादी की ओर से साक्ष्य में पेश हुआ है और उसका कथन है कि उसकी फर्म का नाम मूलचन्द सुजानमल एण्ड कम्पनी है और रजिस्टर्ड फर्म है। रजिस्ट्री का दस्तावेज प्रदर्श 1 है, उसमें भागीदारों की सूची भी दी है। प्रतिवादी संख्या 1 गोलच्छा टेक्सटाइल एजेन्सी हो भी जानता है, जिसका मालिक कंवरलाल गोलच्छा है। इसने हमारे यहां से उधार 13,400 रूपए लिए और ब्याज 1.25 रूपए सैंकडा माहवार देना तय किया। रूपए दिए व ब्याज तय हुआ तब वह स्वयं हाजिर था व मुनिम

मोहनलाल भी मौजूद था। 13,400 रूपए बही में नामे मांडे, जो इन्दराज रोकड बही में किया गया है जो मोहनलाल, मुनीम के हाथ का है व कंवरलाल गोलच्छा के दस्तखत ए से बी है। ये दस्तखत कवरलाल ने उसके सामने किए थे और रूपए शीघ्र वापस देने का भी कहा था। नकल जमा बही असल में इन्दराज प्रदर्श 3 है। यह भी मोहनलाल भण्डारी के हाथ का लिखा हुआ है और कंवरलाल गोलच्छा ने नामे मंडाये थे। कंवरलाल गोलच्छा कमीशन एजेण्ट का काम करता है। हमारे यहां के सोल सेलिंग एजेण्ट गणपतलाल संचेती एण्ड कम्पनी है। उन्होंने प्रतिवादी सं.1 को एजेण्ट नियुक्त किया हुआ है। व्यापारियों को हम माल डाइरेक्ट नहीं भेजते हैं, बल्कि प्रतिवादी को भेजते थे। जो बिल बनाकर भेजते थे उनमें एजेण्ट का नाम लिखा होता था व्यापारियों का नाम ज्यादातर अनसोल्ड रहता था ताकि वह जहां चाहे जिस व्यापारी को बेच सके और खरीदारों का नाम अपने हाथों से लिख देते थे और बिल दो परत में भेजते थे, एक प्रति प्रतिवादी खुद रख लेता था और दूसरी जिस व्यापारी को माल बेचते थे वह रख लेते थे। हमारे सोल सेलींग ऐण्ट गणपतलाल संचेती एण्ड कम्पनी को तीसरी परत हम स्वयं भेजते थे। कलकत्ते में जो माल प्रतिवादी दूसरे व्यापारियों को बेचते थे उसके पैसे व्यापारियों से वही वसूल करता और वादी को पैसे भेजता था। प्रदर्श 3 में जो तीन नामे मांडे हैं वे कंवरलाल गोलच्छा के कहने से मांडे हैं, जो 28.12.1976 को मांडे थे। हम जो बिल भेजते थे उसकी बिल बुक पेश की है। जिस किसी व्यापारियों को प्रतिवादी माल बेचता प्रतिवादी की जिम्मेदारी ही रूपए देने की रहती थी। बिल बुक प्रदर्श 4 है इसमें बिल नम्बर 4801 से 4850 तक के बिल हैं। इनमें से 48 बिल प्रतिवादी को भेजे हुए हैं। प्रदर्श 4/1 बिल जयकुमार के हाथ का है।

प्रदर्श 4/2 से प्रदर्श 4/48 तक के बिल भी जयकुमार बोथरा के हाथ के कटे हुए हैं। इन बिलों पर खरीदारान का नाम नहीं लिखा है। ये अनसोल्ड बिल कहलाते हैं। कमीशन एजेण्ट को यह अधिकार होता है कि माल जिसको बेचे उसका नाम इनमें दर्ज कर लेवे। प्रदर्श 3 में जो तीन व्यापारियों के नाम दर्ज हैं उन व्यापारियों से प्रतिवादी ने ही पैसा लेना मंजूर किया था। इन तीनों व्यापारियों की रू. 11,020.09 की रकम 28.12.1976 को उसके रूबरू भंवरलाल ने अपने नामे मंडाई थी। प्रतिवादी ने सिस्टर कंसर्न से कमीशन की रकम लेनी थी जो देने पेटे जमा कराई। इसका इन्द्राज प्रदर्श 5 है जो 30.11.1976 को दर्ज की व 6,131.03 रूपए जमा हुए हैं। कमला इण्डस्ट्रीज के नाम जो रकम जमा कराई वह भी मोहनलाल भण्डारी के हाथ की है जो उसके रूबरू दिए। इसी तरह रू. 9,632.64 प्रतिवादी ने 30.12.1976 को हमारे यहां जमा कराए और गणपत लाल संचेती के नाम मंडाई जो प्रदर्श 6 है। यह भी मोहनलाल के हाथ मुनीम के हाथ का है। प्रदर्श 7 के द्वारा रू. 132.11 दिनांक 30.12.1976 को जमा करवाए और प्रिया टेस्टाईल के नाम करवाए, यह भी मोहनलाल के हाथ का इन्दराज है। इस प्रकार कुल 15,895.78 रूपए प्रतिवादी के हमारे यहां जमा हुए। इसके बाद रूपया वसूल करने के लिए 4,000/- रूपए की हुण्डी क्लीयर की मगर प्रतिवादी ने नहीं सिकारी, अत: हमको बैंक कमीशन रू.15.50 देना पड़ा जो भी प्रदर्श 8 में रोकड मांडे गए जो भी मोहनलाल के हाथ के इन्द्राज हैं। वादी ने अपने बयान में 3,610.19 रूपए सवा रूपया सैकडा ब्याज के लगाए, बयान दिया है। इस प्रकार कुल 12,150/- रूपए बकाया रहे थे, जिसका यह दावा पेश किया है। प्रदर्श 9 से लगायत 11 दस्तावेज भी प्रमाणित किए हैं और

मोहनलाल भण्डारी के हाथ के लिखे होना प्रमाणित किए हैं। इस गवाह से जिरह की गई है। जिरह में इसने यह स्वीकार किया है कि माल का ऑर्डर प्रतिवादीगण करते हैं और हम माल प्रतिवादी को भेजते हैं, डाईरेक्टली किसी को नहीं भेजते। प्रतिवादी सभी व्यापारियों से रूपए इकट्ठे करके भेजता था। तीसरी पार्टी से उनका कोई कंसर्न नहीं रहता था। प्रकाश चन्द्र विनोद कुमार कलकत्ता की पार्टियां हैं जिनका उनसे सीधा कोई लेनदेन नहीं है। उनका नाम बहियों में इसलिए आया कि प्रतिवादी ने उन्हें माल बेचा और हमें सूचित किया। माल बेचने पर व्यापारियों का नाम जो प्रतिवादी सूचित करता था इसलिए लिखा है। रूपए देने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की ही थी। इस बात से इनकार करता है कि प्रदर्श 3 के इन्द्राज गलत किए हों और कोई बकाया रकम नहीं निकलती हो। इस बात को जरूर स्वीकार किया है कि प्रदर्श 2 में ब्याज दर्ज नहीं है क्योंकि रूपए लेने पर नामे दर्ज कर दिये तो ब्याज चालू रहता है। वादी यह भी स्वीकार करता है कि कमीशन वह स्वयं गणपत लाल संचेती एण्ड कम्पनी को देते हैं। प्रतिवादी का कमीशन कितना वाजिब बना है उन्हें मालूम नहीं। इस बात से इनकार करता है कि 13,400/- रूपए प्रतिवादी को उधार नहीं दिए हों और कमीशन के पेटे जमा किए हों और इसी कारण ब्याज नहीं लिखा हो। प्रदर्श 3 इन्द्राज के नीचे प्रतिवादी के दस्तखत नहीं है। प्रदर्श 2 के अलावा अन्य किसी भी दस्तावेज पर प्रतिवादी के दस्तखत नहीं है क्योंकि वह बहियों के इन्द्राज हैं जिन पर दस्तखत नहीं कराए जाते। इस बात को भी इनकार किया कि ब्याज देना तय नहीं हुआ हो और कितना कमीशन प्रतिवादी का देना बाकी निकलता हो, यह उसे पता नहीं है। इस बात से इनकार किया है

कि दावा झूठा किया गया है। इस बात को इनकार किया कि डाइरेक्टली पार्टी को माल भेजते हों और उन्हीं से रूपए सीधे वसूल करते हों।

इसके समर्थन में पी.ड.2 मोहनलाल मुनीम के बयान कराए गए हैं, जिसने भी अपने बयानो में प्रदर्श 2 असल देखकर कहा कि यह उसके हाथ का लिखा हुआ है और 13,400/- रूपए सेठजी के कहने से प्रतिवादी कंवरलाल गोलेच्छा को दिए थे। कंवरलाल ने कहा था कि उसकी लड़की की शादी है, सामान लाना है। साहुकारी ब्याज सवा रूपया सैकडा होता है, यही तय हुआ था। यह बात गौतम चन्द से हुई तब वह भी मौजूद था और प्रदर्श 2 पर ए से बी दस्तखत कंवरलाल के हैं जो उसके सामने किए। प्रदर्श 3 व 5 से 12 भी उसके अनुसार स्वयं की कलमी होना बयान किया है। जिरह में इस बात से इनकार किया कि 13,400/- रूपए कंवरलाल को कमीशन के दिए हों। कमीशन तो उसे गणपत लाल संचेती एण्ड कम्पनी देती है। ब्याज की दर प्रदर्श 2 में इसलिए नहीं लिखी कि साहुकारी ब्याज था, लिखने की जरूरत नहीं थी। इस बात से इनकार करता है कि साहुकारी ब्याज एक रूपया सैंकड़ा हो। सवा रूपया सैकडा होना स्वीकार करता है। इस बात से भी इनकार करता है कि गणपत लाल संचेती एण्ड कम्पनी का प्रतिवादी से कोई ताल्लुक नहीं हो। यह स्वीकार किया है कि 13,400/- रूपए उधार देना में उधार शब्द नहीं लिखा पर नामे लिखा है।

इसके विरूद्ध प्रतिवादी की साक्ष्य जो आई है उसमें डी.ड.1 कंवरलाल का कथन है कि वह वादी फर्म को जानता है जिससे उनका लेनदेन था। वह वादी फर्म को माल कलकत्ते में बेचता था जो कमीशन के बतौर बेचता था। वादी पार्टी के नाम से बिल व बिल्टी भेज देते थे और पार्टी वादी को

ड्राफ्ट भेजती थी। उसका यह काम था कि वह पार्टी को बिल्टी देकर पेमेण्ट ड्यू कोर्स में ड्राफ्ट लेकर वादी को भेजता था और उसे कमीशन मिलता था। वह प्रकाश चन्द विनोद कुमार, मनोहर लाल ब्रदर्स व गणेशमल दीनदयाल कलकत्ते की फर्म को जानता है। मगर उसने इनकारी की कि इस फर्म की कोई रकम अपने जिम्मे नहीं ली। इन फर्मो का वादी का रूपया बाकी था। उसने वादी को यह नहीं कहा कि इनके रूपये वह देगा और उसके पेटे नाम स्वयं के नाम लिखाए हो। प्रतिवादी ने यह भी बयान दिया कि 29.12.1976 को 13,400/- रूपए वादी से उधार नहीं लिए, कमीशन के पेटे लिए थे जो कमीशन एकाउण्ट में वादी में उसकी रकम बकाया थी। वादी के कोई अनसोल्ड बिल उसके पास आने का उसे ध्यान नहीं है न ही किसी पार्टी को अनसोल्ड बिल दिए। वादी का यह कथन भी गलत है कि अनसोल्ड बिल भेज देते हों और फिर वह किसी भी आदमी को बिल बेचकर वादी को रूपया देता था। वह गणपतलाल संचेती एण्ड कम्पनी को भी नहीं जानता। इस फर्म से उसने कोई कमीशन भी नहीं लिया और इस कम्पनी में उसका 9,632.44 रूपए कमीशन बाकी होना व उसने वादी के खाते में जमा कराने का जो वादी का कथन है, इस तथ्य से इनकारी की है। ब्याज सवा रूपया सैकडा तय नहीं हुआ भी बयान दिया है। उसके 15,895.78 रूपए वादी में बाकी है। वादी की कोई रकम बाकी नहीं होना बयान दिया है। मगर जिरह में इसने स्वीकार किया है कि उसने वादी से 29.12.1976 को 13,400/- रूपए रोकडा लिए थे, मगर यह कमीशन के लिए थे। बही में दस्तखत भी किए थे। मगर इसमें कमीशन के रूपए लेने की बात लिखी हुई नहीं है। दस्तखत करने के पहले उसने उस एण्ट्री को पढ़ा

भी था। दस्तखत करने के पहले एतराज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें लोन एकाउण्ट का भी नहीं लिखा हुआ था। रूपए लिए थे इसलिए दस्तखत करने का कहने पर उसने दस्तखत कर दिए। दिसम्बर, 1976 में वह यहां दो-तीन दिन रहा था, यह भी स्वीकार करता है। गणपतलाल संचेती एण्ड कम्पनी से उसका लेनदेन रहा हो, इस बात से इनकार करता है। जवाबदावे पर उसके दस्तखत होना स्वीकार किया है और पैरा 5 में सी से डी इबारत लिखाना भी स्वीकार करता है। जिरह में इसने यह भी स्वीकार किया कि वादी से जो उनका लेना था वह हिसाब पेश नहीं किया है। उसका कोई कारण भी नहीं है। उक्त फर्मो के नाम में बकाया कमीशन होना उसने वादी को नहीं कहा।

प्रतिवादी के उपरोक्त बयानो के अलावा प्रतिवादी द्वारा डी.ड.2 कनकमल को भी साक्ष्य में पेश किया है, जिसका कथन है कि वह कंवरलाल को जानता है जो कलकत्ता रहता है और जोधपुर आता रहता है व उसके यहां ठहरता है। कभी होटल में भी ठहरता है। कंवरलाल के साथ गौतमचन्द मुद्दई के पास गया। पांच साल पहले की बात है, तारीख याद नहीं है। उसके सामने लेनदेन हुआ था। 13,400/- रूपए कंवरलाल को गौतमचन्द ने दिए, जो कमीशन बाबत दिए थे। इसकी लिखा पढ़ी हुई। जिरह में इसने स्वीकार किया है कि कंवरलाल उसका दोस्त है इसलिए उसके यहां ठहरता है, उसके साथ कोई व्यापार नहीं है। यह दोस्ती दस साल से है। वह बीकानेर में उसके पड़ोस में रहता था। यह लेनदेन सर्दी के मौसम में हुई थी, वार क्या था उसे ध्यान नहीं है। छुट्टी का दिन था या नहीं, यह भी उसे ध्यान नहीं। कंवरलाल ने उन दिनों में लड़की की

शादी के लिए कोई सामान नहीं खरीदा। दो-तीन दिन वह ठहरे थे। गौतमचन्द की दुकान कपड़ा बाजार में है, मकान कहां है उसे पता नहीं। गौतमचन्द को उसी दिन से जानता है। गौतमचन्द के पिता का नाम भी उसे नहीं मालूम। लेनदेन दुकान पर हुआ था। दुकान पर उस समय कोई लेनदेन था या नहीं, उसे याद नहीं। दुकान पर दो-तीन और आदमी मौजूद थे। उनके नाम नहीं जानता। लेनदेन के समय आपस में कोई हिसाब-किताब नहीं हुआ। लिखा-पढ़ी पर कंवरलाल ने दस्तखत किए थे। टिकट लगाया था या नहीं, उसे ध्यान नहीं। लेनदेन तीन-चार बजे शाम को हुआ था।

इस प्रकार दोनों पक्षों की उपरोक्त साक्ष्य के मूल्यांकन से यह स्थिति स्पष्ट गुजरी है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस गवाह का बयान बिलकुल नकार दिया है कि इसका नाम गवाह की सूची में नहीं था और इसको अचानक ही गवाह के रूप में पेश किया गया है। यह गवाह प्रतिवादी का मित्र भी है। दस साल से ज्यादा अरसे का मित्र है और बीकानेर में पड़ोस में भी रहा है। इस गवाह से दुकान पर जाने के बारे में जिरह की गई है। यह गवाह जिरह में भी खड़ा नहीं रह सका है। प्रतिवादी द्वारा 13,400/- रूपए रोकड लेना अवश्य स्वीकार करता है, मगर किसी प्रकार का कोई हिसाब-किताब मौके पर नहीं हुआ। इससे भी कमीशन के रूप में रोकड लिए गए हो, इसके बयानो से अविश्वसनीय पाया जाता है। प्रतिवादी के भी बयान जैसे कि ऊपर देखे गए हैं, प्रतिवादी द्वारा कमीशन के सम्बन्ध में कोई भी अपना हिसाब-किताब पेश नहीं किया, इस प्रकार कमीशन के 13,400/- रूपए बकाया हो, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रमाणित नहीं पाया है।

जो विनिश्चय योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट ने पेश किया है वह उन्हें कोई सहायता नहीं करता। यह सही है कि तनकी साबित करने का आरम्भिक भार जो दावा लेकर आता है उसी पर होता है, मगर इस प्रकरण में प्रदर्श 2 में 13,400/- रूपए प्रतिवादी को देना प्रमाणित हुआ है और प्रतिवादी ने भी 13,400/- रूपए प्राप्त करना स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रतिवादी पर यह भार शिफ्ट हो जाता है कि वह प्रमाणित करता कि जो यह रकम रोकड ली गई वह उधारी नहीं थी, कमीशन के पेटे थी। उपरोक्त तमाम साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कमीशन की कितनी रकम बकाया थी, कब से बकाया थी, प्रतिवादी ने इसका कोई विवरण नहीं दिया, न अपने बही खाते पेश करके इसे प्रमाणित करने का प्रयास ही किया है। प्रतिवादी से जो विस्तृत जिरह हुई है, उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह 13,400/- रूपए कमीशन के लिए हों, बही में नहीं लिखा न उसने उस समय एतराज किया। रूपए लिए इसी आधार पर उसने दस्तखत किए हैं। इस प्रकार यदि कमीशन की रकम होती तो प्रतिवादी उसी वक्त वादी को कह देता कि इसमें कमीशन की रकम लिखी जावे। कमीशन की राशि कितनी थी, कब से बकाया थी, उसका कोई भी कारण प्रतिवादी नहीं बता सका है, जैसाकि ऊपर बयान देखे गए हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वादी से हमारा लेन देन था उसका कोई हिसाब-किताब पेश नहीं किया। इसका कोई कारण भी नहीं बताया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कमीशन पेटे यह राशि दी गई हो, प्रतिवादी की साक्ष्य से स्वीकार नहीं किया है और इसके जो आधार लिखे हैं और साक्ष्य का जो मूल्यांकन किया है, उसमें मैं कोई त्रुटि नहीं पाता। दूसरी

तरफ वादी स्वयं के और उसके गवाह के बयानो से 13,400/- रूपए रोकड देना प्रमाणित हुआ है।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क कि इसमें ब्याज की शर्त नहीं है इससे भी यह राशि उधार लेना प्रमाणित नहीं माना जा सकता और प्रतिवादी का कथन अधिक सही माना जावे, इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा विचार किया गया। हालांकि यह रकम 13,400/- प्रतिवादी द्वारा बच्ची की शादी के लिए सामान लेने हेतु वादी से रोकडा उधार लिया जाना बताया गया है, मगर दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध भी रहे हैं और प्रतिवादी ने अपने बयानो में यह स्वीकार भी किया है कि 13,400/- रूपए उसने प्राप्त किए थे। जब दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं, वादी फर्म की ओर से वह कलकत्ते में माल बेचा करता था और वादी का भी स्पष्ट रूप से यही कथन रहा है कि गणपतलाल संचेती एण्ड कम्पनी उनके सोल सेलिंग एजेण्ट थे जिसने प्रतिवादी संख्या 1 को एजेण्ट नियुक्त किया हुआ था। व्यापारियों को माल सीधा नहीं भेजते थे, प्रतिवादी को ही माल भेजते थे। जो बिल बनाकर भेजते थे उनमें एजेण्ट का नाम लिखा होता था व्यापारी का नाम ज्यादातर अनसोल्ड रहता था। कलकत्ते में जो माल प्रतिवादी दूसरे व्यापारियों को बेचता उसके पैसे व्यापारियों से वही वसूल करता और प्रतिवादी संख्या 1 उन्हें पैसे भेजता था। प्रदर्श 3 में इस प्रकार जो नामे मांडे गए कंवरलाल गोलच्छा के कहने से ही उसने नामे मांडे हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों की साक्ष्य से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध थे और माल जो वादी भेजता था, प्रतिवादी उन्हें कलकत्ता में व्यापारियों को बेचा करता था। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच जो सम्बन्ध रहे हैं,

व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं। इस प्रकार मात्र ब्याज की शर्त प्रदर्श 2 में नहीं लिखी होने से यह नहीं माना जा सकता कि रोकड रकम नहीं ली गई हो कमीशन की राशि यदि ली जाती तो यह कमीशन की राशि प्राप्त करना लिखी जाती। कमीशन का हिसाब भी प्रतिवादी द्वारा पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार मात्र ब्याज शर्त नहीं लिखी होने से कमीशन की राशि नहीं मानी जा सकती। वादी ने अपनी साक्ष्य से रोकड रकम देना प्रमाणित किया है। वादी की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हुआ है कि वादी के सोल सेलिंग एजेण्ट गणपतलाल संचेती एण्ड कम्पनी थे, जिसको वादी कमीशन देता था और उस रकम में से प्रतिवादी को गणपत लाल संचेती ही कमीशन देती थी। इस प्रकार प्रतिवादी का यह कथन कि उसने कमीशन के पेटे राशि प्राप्त की, कतई विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि वादी का सोल सेलिंग एजेण्ट गणपत लाल संचेती था, जैसाकि वादी की उपरोक्त साक्ष्य से पूर्ण रूप से प्रमाणित हुआ है। उपरोक्त प्रकार से तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी के तय किए जाने योग्य है और इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने जो तनकी नम्बर 1 से 2 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध तय की है, इसमें मैं किसी प्रकार के साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि नहीं पाता।

जहां तक तनकी नम्बर 4 का प्रश्न है, 11,020.09 रूपए, जिसका हवाला वाद-पत्र के पैरा 4 में आया है, तीन पाटियोंके पैसे 28.12.1976 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नामे लिखने का कहा था, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नामे वादी की बही में मांडे गए हैं और इस तथ्य को प्रतिवादी ने इनकार किया है। इस तनकी के सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक वादी अधिक बहस नहीं

कर पाए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 4 के निर्णय में दोनों पक्षों की साक्ष्य का विस्तृत रूप से अवलोकन किया और तनकी नम्बर 4 का निर्णय वादी के पक्ष में किया है, जैसी कि वादी की साक्ष्य उपर देखी गई है। इसमें यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 कमीशन एजेण्ट का कार्य करता था और होल सेल एजेण्ट गणपत लाल संचेती एण्ड कम्पनी थी। यह भी वादी की साक्ष्य से प्रमाणित हुआ कि व्यापारियों को माल वादी डाईरेक्ट नहीं भेजता था, बल्कि प्रतिवादी को भेजता था और जो बिल बनाकर भेजते थे उनमें एजेण्ट का नाम लिखा होता था। व्यापारियों का नाम ज्यादातर अनसोल्ड ही रहता था। एक प्रति प्रतिवादी स्वयं रख लेता था और दूसरी प्रति जिस व्यापारी को माल भेजता रख लेता था। कलकत्ता में जो माल प्रतिवादी दूसरे व्यापारियों को बेचता था उसके पैसे प्रतिवादी ही वसूल करता था और वादी को भेजता था। प्रदर्श 3 में जो तीन नामे प्रतिवादी कंवरलाल के कहने से मांडे गए है जो 28.12.1976 को मांडी गई थी। वादी ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श 4 बिल बुक पेश की जिसमें बिल 4801 से 4850 तक के ही पेश किए, जो प्रतिवादी को भेजे हुए हैं। प्रदर्श 4/1 बिल जय कुमार के हाथ का बना हुआ है, जिसे वादी ने प्रमाणित किया है। प्रदर्श 4/2 से लेकर 4/48 तक के बिल भी जयकुमार के हाथ के बने हुए हैं। ये अनसोल्ड बिल कहलाते हैं। इस सम्बन्ध में वादी को साक्ष्य में हिलाया नहीं जा सका है और प्रतिवादी ने अपने बयानो में यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श 4/1 बिल उसके थ्रु होने का इन्दराज है। व्यापारी का नाम उसमें दर्ज नहीं है। ऐसे बिल उसके पास आते थे और व्यापारी के नाम से भी आते थे, उसने अपने बयानो में अवश्य स्वीकार

किया है। बिलों में गणपत लाल संचेती कं. लिखा होना उसने स्वीकार किया है। प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया कि वादी से जो भी लेनदेन हुआ उसका कोई हिसाब उसने पेश नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य देखने के बाद प्रतिवादी की साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना और उसके आधार ये लिखे हैं कि प्रतिवादी ने अपने बयान के प्रारम्भ में तो कहा है कि वह वादी का माल कमीशन पर कलकत्ता में बेचता था, वादी पार्टी के नाम से बिल व बिल्टी भेज देता था और पार्टी वादी का ड्राफ्ट भेज देती थी। उसने इन तीन फर्म का कोई रूपया अपने जिम्मे नहीं लिया और यह नहीं कहा कि इसका रूपया दे दूंगा। इन फर्मो के रूपयों के बारे में वादी का डिस्प्यूट था, परन्तु इस सम्बन्ध में प्रतिवादी ने इन फर्म के किसी भी व्यक्ति को गवाह के तौर पर पेश नहीं किया है और मुख्य बयानो में यह कहा कि वादी का कोई अनसोल्ड बिल आने का उसे ध्यान नहीं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से उसने वादी द्वारा कथित तरीके से माल भेजने व रूपयों की जिम्मेदारी के तथ्य को छुपाने का प्रयास प्रतिवादी कर रहा है। जवाबदावे में गणपतलाल संचेती एण्ड कम्पनी वादी की सिस्टर कनसर्न से मिलने वाले कमीशन को मिलना व वादी के यहां जमा कराना स्वीकार किया है, परन्तु बयानो में गणपत लाल संचेती एण्ड कम्पनी को नहीं जानता कहा है। वादी के कहने से ही उक्त नाम से नावे व जमा करवाया था, परन्तु ऐसी कोई दलील जवाबदावे में अभिकथित नहीं की गई। प्रतिवादी ने अपने स्वयं का कोई हिसाब पेश नहीं किया है और आगे जिरह में बिल बुक प्रदर्श 4 में प्रदर्श 4/1 से 4/48 दिखाने पर स्वीकार करता है कि ऐसे अनसोल्ड बिल भी आते थे और

व्यापारी के नाम के बिल भी आते थे और यह मानता है कि ऐसे अनसोल्ड बिल्स का माल वह व्यापारी तलाश करके बेच देता था। ऐसे व्यापारियों को दिए गए माल की रकम की जिम्मेदारी प्रतिवादी की होने की दलील भी वादी की विश्वसनीय पाई गई। प्रतिवादी ने तीन फर्मो की रकम अपने नाम डलवाना प्रतिवादी ने कहा जो वादी के कथन से विश्वसनीय पाई गई। यह भी जिरह में स्वीकार करता है कि ऐसे बिलों की दो प्रतियां आती थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट रूप से पाया कि वादी के यहां प्रतिवादीगण ने प्रदर्श 3 में अंकित तीन फर्मो की रकम अपने नामे मंडवाई और वादी के पक्ष में तनकी नम्बर 4 तय की गई। मैंने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की साक्ष्य के अवलोकन के बाद जो तनकी नम्बर 4 का निर्णय वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी के किया गया है, उसमें साक्ष्य के मूल्यांकन में कोई त्रुटि नहीं पाता। रेकर्ड से स्पष्ट है कि 11,020.09 रूपए दिनांक 28.12.1976 को अपने नामे मंडाए गए और प्रतिवादी स्वयं के द्वारा 30.11.1976, 30.12.1976 व 30.12.1976 को कुल 15,895.78 रूपए जमा भी करवाए हैं। यह तथ्य ही ऐसा है कि यदि कोई रकम बकाया नहीं होती तो इतनी राशि प्रतिवादी क्यों जमा करवाता। उपरोक्त प्रकार से तनकी नम्बर 4 का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध सही रूप से किया गया है और इसमें हस्तक्षेप के आधार नहीं है।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का इस प्रकरण में अगला तर्क यह रहा कि ब्याज की कोई शर्त तय नहीं हुई और जो ब्याज सवा रूपया सैकडा दर से लगाया गया है वह वादी पाने का अधिकारी नहीं है। कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, अत: इंट्रेस्ट एक्ट के तहत भी ब्याज प्राप्त नहीं किया जा

सकता। धारा 34 सी.पी.सी. के प्रावधानों को देखते हुए 6 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं होना चाहिए था क्योंकि व्यापारिक संव्यवहार में ऋण नहीं लिया गया है न ही परक्राम्य लिखत अधिनियम या कानून के तहत इतना ब्याज देने का प्रावधान है। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट ने ए आई आर 1979 सुप्रीम कोर्ट 852 (स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम रघुबीर सिंह वगै.) एवं ए आई आर (38) 1951 राजस्थान 11 (कल्याण सहाय बनाम फर्म लक्ष्मीनारायण शम्भुलाल) पर आए विनिश्चय पेश किए।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के समर्थन में बहस की और तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो ब्याज की राशि दिलाई है इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। दोनों पक्षों के तर्को के आधार पर न्यायालय को यह देखना है कि क्या वादी तारीख दायरी दावा से तावसूली रकम सवा रूपया सैकडा ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम रघुबीर सिंह वगै. (उपरोक्त) के पैरा 4 व 5 में धारा 1 इंट्रेस्ट एक्ट, 1839 की व्याख्या की गई है एवं निम्न सिद्धान्त दिया गया है :

> "The condition prescribed by the Interest Act that the demand of payment shall give notice to the debtor that interest shall be claimed is fulfilled if interest is claimed, notwithstanding the fact that the notice of demand explains that loss by way of interest has been suffered. To take any other view would be to be over-technical in the construction of pleadings, including notices preceding the action. AIR 1961 SC 990 and AIR 1963

SC 1685, Distinguished."

(Paras 4, 5)

इसी प्रकार ए आई आर (38) 1951 राजस्थान 11 (कल्याण सहाय बनाम फर्म लक्ष्मीनारायण) वाले विनश्चिय के पैरा 15 में निम्नलिखित सिद्धान्त दिया गया है :

> "Where there are mutual giving and taking of goods and money between the parties, but there is no date fixed for the payment of the prices of the goods or for the return of the moneys advanced to each other, nor is there any notice of demand served on the opposite party to make payment of the outstandings and in default claiming interest, the plaintiff cannot claim any interest from the defendants under the Interests Act. Similarly, interest cannot be claimed by way of damages under S.73 when there is no contract for the payment of money on a specified date. The same is the position with the provisions of S.61, Sale of Goods Act, and the plaintiff cannot also claim interest thereunder."
>
> (Para 15)

उपरोक्त दोनों ही विनिश्चयों में आए सिद्धान्तों को मैं आदर-पूर्वक स्वीकार करता हूं, मगर यह दावा 21.11.1979 को पेश हुआ है और इंट्रेस्ट एक्ट, 1839 समाप्त किया जाकर नया इंट्रेस्ट एक्ट, 1978 दिनांक 31 मार्च, 1978 को लागू हो चुका था। इस प्रकार यह दावा पेश होने के पूर्व ही इंट्रेस्ट एक्ट, 1978 लागू हो चुका था। चूंकि इंट्रेस्ट एक्ट, 1978 प्रभाव में लाया गया इसके प्रयोजन व कारण को पढ़ने से स्पष्ट स्थिति बनती है कि कमीशन ने यह पाया कि इंट्रेस्ट एक्ट, 1839 की विभिन्न न्यायिक निर्णयों में व्याख्या की गई थी, अत: नया एक्ट बनाना आवश्यक समझा गया और नए एक्ट को लागू किया गया। नए एक्ट में "ऋण" शब्द को परिभाषित किया गया है और धारा 3 में न्यायालय को ब्याज दिलाने की शक्तियां भी दी गई है जिसमें यदि कोई भी ऋण के सम्बन्ध में या हरजाने के सम्बन्ध

में और अन्य किसी कार्यवाही में जहां ब्याज मांगा गया हो, न्यायालय ब्याज दिला सकता है, स्पष्ट प्रावधान धारा 3 में किया गया है। इसी प्रकार धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अधिनियम में भी जहां ब्याज के प्रावधान हैं तो ब्याज दिलाया जाएगा और यदि कुछ बाजार धाराएं भी यदि ब्याज के सम्बन्ध में हैं वो लागू रहेगी और सी.पी.सी. की धारा 34 के प्रावधानों को भी इस अधिनियम में सुरक्षित रखा गया है। धारा 3 में यह भी प्रावधान रखा गया है कि धारा 3 के कोई प्रावधान यदि लागू नहीं किए जाएंगे यदि कोई भी ऋण किसी इकरार के तहत दिया जाना हो या कोई भी ऋण अनुबन्ध से स्पष्ट रूप से बन्धित कर दिया गया हो, तो धारा 3 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, उपरोक्त विनिश्चय, जो योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट ने प्रस्तुत किए हैं, उनमें इंट्रेस्ट एक्ट, 1839 के सम्बन्ध में व्याख्या की गई है और इंट्रेस्ट एक्ट, 1839 निरसित किया जा चुका है और नया एक्ट 1978 लागू किया जा चुका है, उसमें बाजार धारा यदि कोई है, उसके प्रावधान सुरक्षित रखो गए हैं। इकरार के तहत कोई ब्याज रखा गया, उसके प्रावधान भी सुरक्षित रखे गए हैं। चूंकि धारा 3 इंट्रेस्ट एक्ट, 1978 में यह स्पष्ट प्रावधान थे कि यदि कोई भी ऋण के सम्बन्ध में, ऋण जो लिखित दस्तावेज से लिया गया हो तो जब रकम वापस देय होगी तब से लेकर तारीख दायरी दावा तक ब्याज लेने का अधिकार रखा गया है और यदि कोई ऋण नहीं है तो नोटिस की तारीख से ब्याज देना होगा। मगर यह प्रावधान भी सबक्लॉज 3 के तहत लागू नहीं होंगे यदि किसी ऋण या किसी हरजाने के मामले में ब्याज अधिकार स्वरूप

दिया गया हो या इकरार के जरिए देय हो। इस प्रकरण में जैसी साक्ष्य आई है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट रूप से तनकी नम्बर 3 से प्रमाणित पाया है कि वादी की ओर से सवा रूपया सैकडा प्रतिमाह ब्याज जुबानी तय किया गया था और बाजार धारा के सम्बन्ध में भी साक्ष्य दी गई है। मेरे द्वारा भी वादी के वाद व साक्ष्य का अवलोकन किया। वादी के गवाह पी.ङ.2 मोहनलाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब प्रतिवादी को 13,400/- रूपए दिए, जो लड़की की शादी के लिए सामान लाने के लिए ले गया था। साहुकारी ब्याज सवा रूपया सैकडा होता है वही तय हुआ था। इस प्रकार जुबानी एग्रीमेण्ट से ब्याज सवा रूपया सैकडा तय होने की साक्ष्य आई है और वादी ने भी स्पष्ट रूप से बयान दिए हैं। इस प्रकार ऐसे प्रकरण में नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्पष्ट रूप से ऋण लिया गया ही प्रमाणित हुआ है और सवा रूपया सैकडा प्रतिमाह दर से ब्याज भी देना तय किया गया था। रकम की अदायगी नहीं की गई और दावे में ब्याज मांगा गया है, जो किसी प्रकार से गलत नहीं है। इस प्रकार दावे की तारीख तक सवा रूपया सैकडा ब्याज जो दिलाया गया है वह उचित है।

इस अपील में देखना है कि दौराने दावा से तावसूली रकम तक किस दर से ब्याज दिलाया जावे। रेकर्ड पर यह स्पष्ट रूप से आया है कि दोनों पक्षकारों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध थे, मगर जहां तक यह राशि लेने का प्रश्न है, 13,400/- रूपए रोकड उधार लिए गए जो लड़की की शादी के लिए सामान खरीदने के लिए गए थे और लिखित में कोई ब्याज की शर्त तय नहीं हुई, जुबानी ही सवा रूपया सैकडा प्रतिमाह ब्याज देना तय किया गया।

दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध होते हुए भी 13,400/- रूपए जो लिए गए हैं, प्रतिवादी द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए लिया जाना प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए इंट्रेस्ट एक्ट, 1978 में धारा 34 सी.पी.सी. के प्रावधानों को सुरक्षित रखा गया है, अत: धारा 34 सी.पी.सी. के तहत ही वादी प्रतिवादी से दौराने दावा तावसूली रकम तक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी रहता है।

मेरे द्वारा धारा 34 सी.पी.सी. का अवलोकन किया गया, जो निम्न प्रकार है :

> **"34. Interest.--** (1) Where and in so far as a decree is for the payment of money, the Court may, in the decree, order interest at such rate as the Court deems reasonable to be paid on the principal sum adjudged, from the date of the suit to the date of the decree, in addition to any interest adjudged on such principal sum for any period prior to the institution of the suit, [with further interest at such rate not exceeding six per cent per annum as the Court deems reasonable on such principal sum], from the date of the decree to the date of payment, or to such earlier date as the Court thinks fit:
>
> [Provided that where the liability in relation to the sum so adjudged had arisen out of a commercial transaction, the rate of such further interest may exceed six per cent per annum, but shall not exceed the contractual rate of interest or where there is no contractual rate, the rate at which moneys are lent or advanced by nationalised bank in relation to commercial

transactions.]

(2) Where such a decree is silent with respect to the payment of further interest [on such principal sum] from the date of the decree to the date of payment or other earlier date, the Court shall be deemed to have refuse such interest, and a separate suit therefor shall not lie."

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि न्यायालय दौराने दावा से तारीख डिक्री तक ब्याज जो न्यायोचित समझे वह दिलाने का क्षेत्राधिकार रखता है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सवा रूपया सैकडा माहवार की दर से ब्याज दिलाया है, जो कतई उचित नहीं था। तारीख दायरी दावा तक सवा रूपया सैकडा ब्याज दिलाना न्यायोचित था मगर दौराने दावा से तावसूली तक इसी दर से ब्याज दिलाना कतई उचित नहीं है। इस प्रकरण में जुबानी ही ब्याज का इकरार हुआ था, लिखित में कोई इकरार नहीं है। व्यापारिक लेनदेन से भी यह रकम ली जाना नहीं पाई जाती। व्यापारिक सम्बन्ध अवश्य दोनों पक्षों के पाए जाते हैं। इस प्रकार परन्तुक के तहत यह व्यापारिक संव्यवहार भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार प्रकरण में आई सभी परिस्थितियों को देखते हुए मैं इस प्रकरण में दौराने दावा से ताडिक्री भी 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिलाना न्यायोचित समझता हूं और डिक्री की तारीख के बाद से तावसूली रकम तक मूल रकम 8,524.31 रूपए पर 6 प्रतिशत ब्याज दिलाना न्यायोचित समझता हूं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दौराने दावा से तारीख डिक्री तक सवा रूपया सैकडा माहवार की दर से जो ब्याज की डिक्री पारित की है वह ब्याज

अत्यधिक दिलाया गया है जिसे घटाकर कम किया जाता है।

उपरोक्त प्रकार से यह अपील पूर्णत: स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से अंशत: स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो 12,150/- रूपए की डिक्री पारित की गई है इस हद तक इस अपील में मैं कोई बल नहीं पाता, जो मय खर्चा खारिज की जाती है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल रकम 8,524.31 रूपए पर दौराने दावा तावसूली रकम तक सवा रूपया सैकडा माहवार की दर से जो ब्याज दिलाया गया था, इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है और दौराने दावा से तावसूली रकम तक वादी-रेस्पोंडेण्ट प्रतिवादी-अपीलाण्ट से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ही ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

उपरोक्त अनुसार डिक्री पर्चा में संशोधन किया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार आचार्य)

शर्मा जी.एन.